मुख्यमंत्री सचिवालय

कार्यालय आदेश

प्रदेश में कोविड–19 की द्वितीय लहर पर प्रभावी रोकथाम हेतु निम्नांकित अधिकारियों को निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है:–

क्र.स.	नोडल अधिकारी	कार्य का विवरण
1.	डा. नीरज खैरवाल, सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन	प्रदेश के समस्त आक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लान्टस में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। इन प्लान्टस में किसी भी दशा में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो।
2.	श्री विनोद कुमार सुमन, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन	प्रदेश के सभी नगर निकायों में सैनिटाईजेशन/सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करवायेंगे। प्रत्येक रविवार को नगर निकायों में व्यापक सैनिटाईजेशन कार्य किया जायेगा।
3.	श्री हरि चन्द्र सेमवाल, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन	प्रदेश में लौट रहे प्रवासियों हेतु आवश्यकतानुसार ग्रामीण क्वारन्टीन सेन्टर /कोविड केयर सेंन्टरों यथा पंचायत भवन या अन्य निर्धारित भवनों में आवश्यक साफ–सफाई, खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।

उक्त के अतिरिक्त **सचिव, गृह** अपने स्तर से पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निम्नलिखित कार्यों हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे:–

1. प्रदेश के समस्त सरकारी व निजी अस्तपालों/मेडिकल कॉलेजों में जहॉं कोविड–19 के दृष्टिगत अत्यधिक भीड़ हो रही हैं, वहॉं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने तथा इसकी लगातार समीक्षा हेतु।

2. बाजारों व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों में Covid Appropriate Behaviour का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु।

3. प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश कर रहे यात्रियों/प्रवासियों आदि हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु।

4. होम आईसोलेशन व कोविड केयर सेन्टरों हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु।

5. उपरोक्त क्रमांक 01 से 04 हेतु तैनात नोडल अधिकारियों द्वारा डी.आई.जी.–एस.डी.आर.एफ से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही/प्रगति से प्रत्येक दिवस सचिव, आपदा प्रबंधन को अवगत कराया जायेगा।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव
मा0 मुख्यमंत्री।

संख्याः 44 /पी0एस0–स0मु0मं0/2021–22 दिनांक 22 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. संबंधित अधिकारियों को तद्नुसार कार्य सुनिश्चित किए जाने हेतु।
4. कार्यालय प्रति।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव
मा0 मुख्यमंत्री।